न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 103/2020 (RCMS : 2020/ 00272) अनवान सरोज पत्नि रमेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी 90 लक्कड़मण्डी, श्रीगंगानगर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.01.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है और अब इसमे वह आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः इसी आधार पर खारिज कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन अपील इंतकाल प्रकरण संख्या 13/2017 अनवानी सरोज बनाम राजस्थान सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और अब नये पीठासीन अधिकारी ने अपना कार्य ग्रहण कर लिया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:30 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर